#### प्रपत्र - 23

# ( नियम 85 देखिये )

### निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम 85 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा यह अधिसूचित करता / करती हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है: —

जिला : रामगढ़।

# अनुसूची

	पद का विवरण			ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद्
व्यक्ति का नाम	पद	आरक्षित / अनारक्षित	महिला / अन्य	जिससे पद सम्बन्धित है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या / नाम सहित)
1	2	3	4	5
नारायण करमाली	पंचायत समिति सदस्य	अनुसूचित जनजाति	अन्य	XVI रामगढ़ / 03 / रामगढ़ -01 दोहाकातु पंचायत के वार्ड सं0 01 से 07 तक
सरस्वती देवी	पंचायत समिति सदस्य	अनारक्षित	महिला	xvI रामगढ/03/रामगढ़ -02 दोहाकातु पंचायत के वार्ड सं0 08 से 15 तक
विजय कुमार केशरी	पंचायत समिति सदस्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	XVI रामगढ़ / 03 / रामगढ़ –03 कुन्दरूकला पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र
इन्द्रजीत मुण्डा	पंचायत समिति सदस्य	अनारक्षित	अन्य	xvI रामगढ़ / 03 / रामगढ़ –04 बारलौंग पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र

स्थान : समाहरणालय, रामगढ।

तारीख : 21/12/2015

ह0 / – (अस्पष्ट) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) –सह–उपायुक्त, रामगढ़।

### टिप्पणी : -

- यदि निर्वाचन क्षेत्र आरिक्षत कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरिक्षत कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन—जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारिक्षत कोटि के अन्तर्गत आता है तब ''अनारिक्षत'' का उल्लेख किया जाये।
- यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरिक्षत है तब स्तम्भ 4 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिये आरिक्षत नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।